अतिआवश्यक सूचना

भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रों के आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन (authentication) होने के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वित्तीय वर्ष (financial year) 2020– 21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नंबर ऑनलाइन वेरीफिकेशन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से कराने के पश्चात सबमिट किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया भी इस वर्ष से प्रारंभ की जाएगी। आधार बेस भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों के आधार नंबर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (scholarship and fee reimbursement) की धनराशि अंतरित की जाएगी।छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी एफ एम एस (public financial management system) से मैप होना चाहिए। विद्यार्थियों के स्तर पर निम्नांकित कार्यवाही की जानी चाहिए–

1. सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर एवं राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंक में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिए।
3. हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता– पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता– पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिए।
4. हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए। दोनों में एक ही जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (gender) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए। यदि कोई छात्र/छात्रा अपना आधार अपडेट नहीं कराता/कराती है तो इस वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा/सकेगी।
6. विद्यार्थियों द्वारा भरे गए आधार नंबर, विद्यार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओ०टी०पी० भेजा जाएगा। उक्त ओ०टी०पी० को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में scholarship.up.nic पद के स्थान पर वेबसाइट परिवर्तित होकर scholarship.up.gov.in हो गई है। सभी नए वेबसाइट का उपयोग करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी बाहर के राज्यों में शासकीय (government) व शासकीय सहायता (government aided) संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, वे ध्यान दें कि यदि उनकी संस्था अभी तक उत्तर प्रदेश शासन की छात्रवृत्ति की वेबसाइट में अंकित नहीं है तो निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन एवं उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट से निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, प्राग नारायण रोड, निकट गोखले मार्ग, कल्याण भवन, लखनऊ 226001को जरूर भेज कर प्राप्त कर ले। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। यदि कोई संस्था छात्रवृत्ति के वेबसाइट पर पर अंकित नहीं है, तो उस संस्था के विद्यार्थी आवेदन नहीं भर सकेंगे। वेबसाइट में पहले से दर्ज संस्थाएं भी अपनी प्रविष्टियों को अपडेट करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।